

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

जिसीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस

स्व वाद संख्या :- 263/2024

1. कुशल पुत्र विजयपाल जाति विश्‍नोई निवासी 18 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। --वादी

बनाम्

1. विजयपाल पुत्र बनवारीलाल जाति विश्‍नोई निवासी 18 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. शकीला पुत्री बनवारीलाल जाति विश्‍नोई निवासी 18 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। ---प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :-88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 17.10.24

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.10.24 को सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

चक नम्बर 18 जीजीआर के खाता संख्या 116/104 में कुल 4.554 हैक्टेयर में से विद्यादेवी नाम से दर्ज 1897/4554 हिस्सा आराजी के वादी कुशल व प्रतिवादी संख्या 1 विजयपाल के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 18 जीजीआर के खाता संख्या 116/104 में से विद्यादेवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त धर से भार मुक्त होंगे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा फरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया देगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 17.10.24 को जज के हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

हर



उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रुपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		